भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 98.

22 नवम्बर, 2011 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर
निजी अस्पतालों में गरीबों का निःशुल्क उपचार

98. श्री रशीद मसूदः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कोर्ट के तमाम निर्देशों और सरकारी प्रयासों के बावजूद प्राइवेट अस्पताल गरीबों का
फ्री इलाज क्यों नहीं कर रहे हैं;

(ख) इसे लागू करवाने के लिए सरकार ने क्या–क्या कदम उठाये हैं;

(ग) दिल्ली में सरकार से प्राप्त छूट वाली जमीन पर बने अस्पतालों में पिछले दो सालों के
दौरान कुल कितने मरीजों का इलाज हुआ है; और

(घ) इसमें से कितने गरीब मरीज हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद)

(क) और (ख) : दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय ने रिट याचिका (डब्ल्यू पी सी) संख्या 2866/2002 में सामाजिक न्यायविद् बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार एवं अन्य के मामले में दिनांक 22.3.2007 के अपने निर्णय में भूमि आबंटन करने वाली विभिन्न एजेंसियों से रियायती दरों पर भूमि प्राप्त करने वाले सभी अस्पतालों को निदेश दिया था कि वे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की पात्र श्रेणी के रोगियों को 10 प्रतिशत आई पी डी एवं 25 प्रतिशत ओ पी डी सुविधा निःशुल्क प्रदान करें। बाद में 10 अभिज्ञात प्राइवेट अस्पतालों में माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका (एस एल पी) दायर की तथा ऑपरेशन, एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड, सी.टी. स्कैन जैसी जांचों के बारे में अंतरिम राहत प्राप्त की ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने इस मामले को माननीय उच्चतम न्यायालय में उठाया तथा परिणामस्वरूप दिनांक 1.9.2011 को 10 अभिज्ञात अस्पतालों द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका को निरस्त कर दिया गया तथा अस्पतालों को निदेश दिया गया कि वे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की पात्र श्रेणी के रोगियों को 10 प्रतिशत आई पी डी एवं 25 प्रतिशत ओ पी डी सुविधा बिल्कुल नि:शुल्क प्रदान करें।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने वर्ष 2007 और साथ ही अक्टूबर, 2011 में अभिज्ञात प्राइवेट अस्पतालों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की पात्र श्रेणी के रोगियों को नि:शुल्क उपचार प्रदान के बारे में दिशा निर्देश जारी किए जिनमें अभिज्ञात प्राइवेट एवं साथ ही सरकारी अस्पतालों को विशेष रेफरल केन्द्र स्थापित करने तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रोगियों के रेफरल को सुगम बनाने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने के लिए निदेश दिया गया।

दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा गठित विशेष समिति ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रोगियों के पात्रता मापदंडों को संशोधित किया तथा प्रत्येक परिवार के लिए इसे 4000/- रूपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 6422/-रुपये प्रतिमाह किया तथा इसे अकुशल कार्यकर्ता के न्यूनतम परिश्रमिक से जोड़ दिया।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने एक वेबपेज सृजित किया है जिसमें रोगियों के रेफरल को सुगम बनाने के लिए नि:शुल्क बिस्तरों (गंभीर एवं अगंभीर) की वास्तविक समय पर उपलब्धता दर्शायी जाती है । सूचना निम्नलिखित वेब पते पर उपलब्ध है:

www./health.delhigovt.nic.in/mis/frmlogin.aspx.

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने एक मॉनीटरिंग समिति गठित की है जिसमें स्वास्थ्य सेवा निदेशक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी नर्सिंग होम सेल, पी आई एल याचिकाकर्ता, सेंट स्टेफन अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक तथा संबंधित अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षक शामिल हैं। यह समिति प्रत्येक महीने चार से पांच अस्पतालों का निरीक्षण करती है।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की पात्र श्रेणी के रोगियों के लिए नि:शुल्क उपचार की उपलब्धता और साथ ही उनकी पात्रता संबंधी मापदंडों तथा नि:शुल्क उपलब्ध बिस्तरों एवं विशेषज्ञता सहित अभिज्ञात प्राइवेट अस्पतालों की सूची के बारे में समाचार पत्रों (अंग्रेजी एवं देशी भाषा) में सार्वजनिक नोटिस जारी किए गए। नि:शुल्क उपचार के बारे में संदेश भी इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रसारित किया गया ।

अभिज्ञात प्राइवेट अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों, दोनों में महत्वपूर्ण स्थानों पर बोर्डों में पात्रता मापदंड एवं नि:शुल्क बिस्तरों की उपलब्धता को हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में भी प्रदर्शित किया जाता है। ऐसे चूककर्ता प्राइवेट अस्पतालों को समय-समय पर नोटिस भी जारी किए गए हैं जो पर्याप्त संख्या में आर्थिक रूप से कमजोर रोगियों का नि:शुल्क उपचार नहीं कर रहे हैं।

अभिज्ञात प्राइवेट अस्पतालों में रेफर किए जाने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रोगियों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकारी अस्पतालों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

कई मामलों में ऐसे संबंधित प्राइवेट अस्पतालों, जिन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रोगियों के उपचार के लिए पैसे लिए हैं, को इसे वापस करने का निदेश दिया गया है।

इसके साथ ही भूमि विकास कार्यालय ने भी सूचित किया है कि माननीय उच्च न्यायालय के निदेशों का अनुपालन नहीं करने वाले प्राइवेट अस्पतालों के विरूद्ध पट्टा निबंधनों के अंतर्गत कार्रवाई शुरू की गई है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ आबंटनों को रद्द करना, अस्पतालों की पुन: प्रविष्टि और कारण बताओं नोटिस जारी करना शामिल है।

(ग) : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा दी गई सूचना अनुसार, अभिज्ञात प्राइवेट अस्पतालों में उपचार किए गए रोगियों की कुल संख्या के बारे में इस समय कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।

(घ) : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा दी गई सूचना अनुसार दिनांक 1.4.2007 से दिनांक 31.7.2011 तक आई पी डी में नि:शुल्क उपचार किए गए रोगियों की संख्या 105499 थी जबकि इसी अवधि में ओ पी डी मे नि:शुल्क उपचार किए गए रोगियों की संख्या 3190798 थी।

***